


भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में साइकेट्रिक ऐड के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015केका.जा.सं.एवी.14017/61/2008-एस्ट (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में साइकेट्रिक ऐड के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारूप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।



(अजय कुमार केपी)

अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक:

अनुलग्नक

क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण/ टिप्पणी
1.	पद का नाम	साइकेट्रिक ऐड	साइकेट्रिक ऐड	
2.	पदों की सं.	2	2* (2017) (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-IV पद अराजपत्रित, अननुसचिवीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	
4.	वेतनमान (वेतन अब वेतन मैट्रिक्स में)	रु.35-1-50 (पहला के.वे.आ.) रु. 110-3-131 (दूसरा के.वे.आ.) रु. 260-326-ईवी-8-350(तीसरा के.वे.आ.) रु. 950-20-1150-ईवी-25-1500 (चौथा के.वे.आ.), एस5 (3050-75-3950-80-4590) (पांचवा के.वे.आ.)पीवी.-I, ग्रे.वे.: रु. 1900 (छठा के.वे.आ.)	वेतन मैट्रिक्स का लेवल- 2 (रु. 19900)	सातवे के.वे.आ. और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7-10-2009 के एबी सं. 14017/32/2009-एस्ट (आरआर) के मॉडल भर्ती नियम के अनुसार रिप्लेसमेंट।
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन	अचयन	पद वरिष्ठता-तथा उपयुक्तता आधार पर प्रोन्नित द्वारा भरा जाना है (मैरिट आधार पर नहीं)
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	25 वर्ष	लागू नहीं	
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता	मिडिल स्कूल कक्षा तथा साइकेट्रिक नर्सिंग अर्दली का प्रमाण पत्र	लागू नहीं	
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	नहीं	लागू नहीं	

क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण/ टिप्पणी
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	2 वर्ष	कोई परिवीक्षा नहीं	यदि प्रोन्नति समान पद समूह में अर्थात् समूह 'ग' से समूह 'ग' में की जानी है तो कोई प्रोन्नति नहीं होगी।
10.	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	100% प्रोन्नति द्वारा(चयन द्वारा)	100%प्रोन्नतिद्वारा	
11.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	स्थायी एवं अर्धस्थायी श्रेणी- IV स्टॉफ	पे मैट्रिक्स के लेवल- 1 (रु. 18000) में 3 वर्ष कार्य कर चुके समूह 'ग' स्टॉफ में से।	
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना		विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन : 1. निदेशक (सीआईपी- अध्यक्ष 2. चिकित्सा अधिकारी- सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी- सदस्य	किसी प्रोन्नित वाले पद के लिए एक विभागीय प्रोन्नति समिति होना आवश्यक है।
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।		लागू नहीं	